



कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-I
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर-334006 (राजस्थान)



डॉ. दुर्गा सिंह
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मेल : kvkbikaner@gmail.com
फोन नं. : +91-0151-2970070 (0)
मोबाइल नं. : 09414411414

कमांक: एफ.(टे.फा.) / केविके-बीकानेर / लेखा / स्वाकेराकृवि / 2025 / 06-08

दिनांक 07.05.2025

खुली निविदा सूचना संख्या-01 / 2025-26

कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर के एल.आर.एस. के पास वाले फार्म की 10.0 हैक्टेयर व स्टेडियम के सामने वाले फार्म की 5.0 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वर्ष 2025-26 के लिये (खरीफ-2025 एवं रबी -2025-26) की फसलों के बीज उत्पादन एवं फसलोत्पादन के लिये हिस्सा खेती हेतु संबंधित व्यक्ति/फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजपत्रित अवकाश के अलावा किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.30 बजे से सांय 4.30 बजे तक 500/- रु. नगद या डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) जो Training Organiser, Krishi Vigyan Kendra, Bikaner के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 19.05.2025 को ही दोपहर 02.00 बजे निर्धारित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं www.raubikaner.org पर देखा जा सकता है।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र
बीकानेर



कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-I

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर



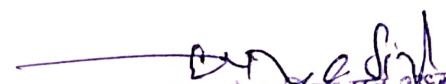
दिनांक : 01.05.2025

वर्ष 2025-26 में हिस्सा खेती हेतु आमंत्रित की गई खुली निविदा की शर्तें (ख) :-

1	ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा व बुवाई फर्टिलाइजर ड्रिलिंग, धेसर की व्यवस्था निविदादाता/ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसे सम्बन्धी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में केन्द्र का कोई योगदान नहीं रहेगा।
2	उपरोक्त कार्य हेतु जारी निविदा की अनुमानित लागत राशि-8,00,000/- (अखरे रुपये आठ लाख होगी। जिसमें स्वीकृत निविदादाता/ठेकेदार को अनुमानित लागत राशि पर नियमानुसार 02 प्रतिशत की दर से राशि-16,000/- रुपये सुरक्षित धनराशि धरोहर के रूप में कैश या डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) जो Training Organiser, Krishi Vigyan Kendra, Bikaner के पक्ष में देय हो जो निविदा फार्म के साथ जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के अभाव में निविदा फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके साथ ही यदि निविदा दाता/ठेकेदार बीच में किसी कारण से ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमा धरोहर राशि कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
3	सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के बाद कुल अनुमानित लागत राशि पर 3 प्रतिशत की दर से राशि-24,000/- रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में दो दिवस के अन्दर जमा करवाना होगा।
4	बुवाई के दौरान लगने वाले बीज, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर की आपूर्ति केन्द्र द्वारा वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार ही की जावेगी। बुवाई के लिये फसल का चयन केन्द्र द्वारा किया जायेगा। निविदादाता की कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
5	फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फंफूदनाशक, कीटनाशक व अन्य रसायन की आपूर्ति भी वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार केन्द्र करेगा परन्तु श्रमिक अवयव व उपकरण निविदादाता/ठेकेदार के ही होंगे।
6	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग करवाने संबंधी मजदूरी तथा उसके बाद उत्पाद की साफ सफाई करके बोरियां भरकर, तोलकर गोदाम में रखने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक अवयव निविदादाता/ठेकेदार को ही वहन करने होंगे।
7	स्वीकृत निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र द्वारा उपलब्ध सिंचाई सुविधा का विद्युत वितरण की उपलब्धता पर पूर्ण उपयोग करना होगा, चाहे वह दिन में आए या रात्री में।
8	विभिन्न प्रकार की शस्य कियेएँ फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार करनी होगी तथा खास श्रमिक अवयव ठेकेदार को वहन करना होगा। फार्म मैनेजर, फार्म ईचार्ज, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा बताया गया कार्य निश्चित समय में करना होगा अन्यथा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई निविदादाता/ठेकेदार से की जायेगी।
9	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद निविदादाता/ठेकेदार के हिस्से के विक्रय की स्थिति में प्रथम अधिकार केन्द्र का होगा, जिसके लिए निविदादाता/ठेकेदार को जिन्स की न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से 10 प्रतिशत बढाकर भुगतान किया जायेगा। यदि जिस जिन्स की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं है उसका भुगतान जिस की मण्डी में प्रचलित दर से 10 प्रतिशत बढाकर भुगतान किया जायेगा। यदि जिस जिन्स का न्यूनतम समर्थन मूल्य मण्डी में प्रचलित दर से कम है उस स्थिति में भी उसका भुगतान जिन्स की मण्डी में प्रचलित दर से 10 प्रतिशत बढाकर भुगतान किया जायेगा।
10	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले चारे के बंटवारे के बाद निविदादाता/ठेकेदार के हिस्से के विक्रय की स्थिति में प्रथम अधिकार केन्द्र का होगा, जिसके लिए निविदादाता/ठेकेदार को चारे की प्रचलित दर पर समिति के निर्णयानुसार भुगतान किया जायेगा।
11	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहाँ इकट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा।
12	निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा।
13	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्टेक्ट को मानना बाध्य होगा।
14	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज की देखरेख में करना होगा।
15	पम्प व ट्यूब वेल मोटर ऑपरेशन निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा तथा निविदादाता को नहर से पानी की बारी आने से पहले खाले की साफ-सफाई करनी होगी एवं डिग्गिंग में पानी भरने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।

16	फसलों की रखवाली करने की पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी इसमें शिथिलता बरतने या नुकसान होने पर समिति द्वारा आकलन करवाया जायेगा जिसे निविदादाता/ठेकेदार के भुगतान में से काट दिया जायेगा। केवीके फार्म पर स्थित पंप व पानी का प्रयोग केवीके की उद्यानिकी कार्यों के लिए भी किया जायेगा।
17	फसल के दौरान स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लाये जायेंगे तथा ना ही यहां से हरा चारा वगैरह ले जाने दिया जायेगा।
18	निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना-जाना करना होगा। किसी भी अवांछित आदमी को फार्म में आने की ईजाजत नहीं होगी।
19	अनुबंध खत्म होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर से "नो ड्यूज" लेना होगा।
20	सभी प्रकार के टैक्स वहन की जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
21	विभिन्न कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
22	सिंचाई खालों व पाटले की साफ-सफाई का कार्य निविदादाता/ठेकेदार को करना होगा तथा माह में कम से कम एक बार सफाई करनी होगी, जिसका खर्च निविदादाता/ठेकेदार को वहन करना होगा।
23	केन्द्र के दोनों फार्म पर सभी कृषि कार्य संबंधित निविदादाता को स्वयं द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। निविदादाता उक्त फार्म को अन्य किसी भी व्यक्ति/फर्म को सबलैट नहीं कर सकेगा, ऐसा कुछ करने पर उक्त निविदा को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।
24	यदि संबंधित निविदादाता/ठेकेदार द्वारा फार्म पर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करवाता है तो भी निविदादाता/ठेकेदार का फार्म पर उपस्थित होना अतिआवश्यक होगा तथा साथ ही मजदूरों से कार्य शुरू करवाने से पूर्व उनके द्वारा करवाये जाने वाले कार्य के बारे में फार्म इंचार्ज को सुचित करना होगा। फार्म पर निविदादाता/ठेकेदार के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का फार्म में रहेना/प्रवेश वर्जित रहेगा। अतिआवश्यक कार्य होने पर यदि किसी व्यक्ति को केन्द्र के फार्म पर रोकने से पूर्व फार्म इंचार्ज या अधोहस्ताक्षरकर्ता से स्वीकृति लेना अतिआवश्यक होगा।
25	एल.आर.एस. फार्म के पास केवीके फार्म पर प्रतिमाह विद्युत खर्च के कुल बिल की राशि का 20 प्रतिशत भुगतान निविदादाता/ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा, जो कि बिल जमा कराते समय निविदादाता/ठेकेदार को केवीके कार्यालय में जमा करवाना होगा तथा स्टेडियम के पास फार्म पर विद्युत खर्च का भुगतान 100 प्रतिशत केवीके कार्यालय का ही होगा।
26	स्टेडियम के पास फार्म 5.0 हैक्टेयर पर सिंचाई हेतु पाइप व फव्वारा निविदादाता/ठेकेदार को ही लाना होगा। सिंचाई के साधनों व डिग्गी के पानी का समुचित उपयोग करना होगा। स्टेडियम के पास फार्म पर निविदादाता को फसल की श्रेिशिंग के बाद साफ किए फसल उत्पादन को फार्म इंचार्ज के दिशानिर्देशानुसार बोरियों में भरकर तौलकर तथा गौदाम में ढांग लगाकर रखना होगा। उक्त फार्म पर उत्पादित चारा 100 प्रतिशत केन्द्र का होगा तथा चारे को फार्म से लाकर चारा भण्डार में डालना होगा।
27	फार्म पर स्थित पेड़ तथा तारबन्दी, मोटर, तार, पाइप, तार व खम्भे एवं अन्य सामान की पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। खोने अथवा चोरी हो जाने पर ठेकेदार को उसकी पूर्ति करनी होगी।
28	सफल निविदादाता को सभी फसलों की कटाई होने तक पूर्ण रूप से खरपतवार रहित रखना होगा चाहे इस हेतु बार-बार निराई गुड़ाई करनी पड़े, अन्यथा फसल नुकसान, औसत उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी मानकर उत्पादन में कमी की भरपाई ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान की राशि में से (प्रत्येक फसलों अनुसार) काट लिया जायेगा या धरोहर राशि से भरपाई की जायेगी।
29	खरीफ की फसल का उत्पादन 30 नवम्बर से पहले तथा रबी की फसल का उत्पादन 31 मई से पहले केन्द्र के गोदामों में जमा करना होगा अन्यथा: प्रतिदिन एक प्रतिशत के हिसाब से निविदादाता के हिस्से से कटौती की जावेगी।
30	फसल को जंगली जानवर व अन्य किसी हानि से बचाने व रखवाली (दिन रात्री) हेतु सुरक्षा का कार्य निविदादाता को करना होगा।
31	फसलोत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा (शीतलहर, ओलावृष्टि)/आगजनी आदि की स्थिति में हुई क्षति होने पर उक्त केन्द्र द्वारा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मुआवजा या क्षतिपूर्ति या फसल बिमा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और न ही ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजा या क्षतिपूर्ति की मांग करेगा।
32	निविदादाता/ठेकेदार या उसके श्रमिक द्वारा अपने स्तर पर फार्म पर कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करता है तो समस्त जिम्मेवारी निविदा दाता की होगी।
33	निविदादाता को कृषि कार्य का कम से कम 01 या 02 साल का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
34	निविदा दाता द्वारा हिस्सा खेती की भरी गई दर न्यूनतम/उच्चतम को मानने के लिए कमेटी बाध्य नहीं होगी, कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

35	सफल निविदा दाता को सभी फसलों की कटाई होने तक पूर्ण रूप से खरपतवार रहित रखना होगा चाहे इस हेतु बार-बार निराई गुड़ाई करनी पड़े, अन्यथा: फसल नुकसान, औसत उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी मानकर उत्पादन में कमी की भरपाई ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान की राशि में से (प्रत्येक फसलों अनुसार) काट लिया जायेगा या धरोहर राशि से भरपायी की जायेगी।		
36	निविदा दाता/ठेकेदार को निविदा फॉर्म के साथ पेन कार्ड व आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		
37	निविदादाता को नॉनज्यूडिसियल स्टाम्प रु0 100/- पर शपथ पत्र टाइप करवाकर तथा नोटेरी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय में निविदा स्वीकृत होने के दो दिनों के अन्दर कार्यालय समय में जमा करवाना होगा जिसमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार करते हुये कार्य करने की सहमति प्रदान की जाए एवं इसके अभाव में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सफल निविदादाता को कार्य करने के आदेश नहीं दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जवाबदारी निविदादाता की होगी।		
	मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली है स्वीकार्य है एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर हिस्सेदारी कर कार्य करने के लिए सहमत हूँ। मेरा कार्य किसी भी स्तर पर संतोष जनक नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर मेरी धरोहर राशि केन्द्र जब्त कर सकता है। निविदादाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर, पता व दिनांक	स्कीम इंचार्ज के हस्ताक्षर मय सील	कमेटी सदस्यों के हस्ताक्षर


 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
 कृषि विज्ञान केन्द्र
 बीकानेर